

कार्यालय-निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-माध्य/पीएसपी-सी/अ-2/60566/मान्यता-क्रमोन्नति विज्ञप्ति/2026-27/46995

दिनांक:-यथा हस्ताक्षर

संशोधित टाईम-फ्रेम

शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए गैर सरकारी क्षेत्र में संचालित विद्यालयों की प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्तर की नवीन मान्यता, उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर की क्रमोन्नति तथा विद्यमान गैर सरकारी विद्यालयों में अतिरिक्त संकाय/विषय/माध्यम तथा भवन/स्थान/वर्ग/नाम/माध्यम परिवर्तन, प्रबन्ध अन्तरण, मान्यता समर्पण एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अतिरिक्त अन्य बोर्ड (CBSE, CISCE, CAIE, IB एवं अन्य बोर्ड) से संबद्धता प्राप्त किए जाने हेतु अनापति प्रमाण पत्र (NOC) आदि हेतु इच्छुक संस्थाओं से इस कार्यालय की समसंख्यक विज्ञप्ति एवं दिशा-निर्देश दिनांक 20.12.2025 द्वारा निर्धारित टाईम-फ्रेम के अनुसार ऑनलाईन आवेदन आमन्त्रित किये गये थे, के क्रम में शासन के पत्र क्रमांक : प. 9(20)शिक्षा-5/Rajpsportal /2026 दिनांक 12.03.2026 की अनुपालना में पूर्व में निर्धारित टाईम-फ्रेम में निम्नानुसार संशोधन करते हुए **दोगुने विलम्ब शुल्क सहित एतद् द्वारा पुनः आवेदन आमन्त्रित** किये जाते हैं -

क्र.स.	आवेदन का प्रकार	पूर्व में विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन करने की निर्धारित अंतिम तिथि	दोगुने विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन करने की संशोधित निर्धारित अवधि	पूर्व में निर्धारित विलम्ब शुल्क	संशोधित निर्धारित दोगुना विलम्ब शुल्क
1	मान्यता/क्रमोन्नति/अतिरिक्त संकाय/विषय/माध्यम तथा भवन/स्थान/वर्ग/माध्यम परिवर्तन इत्यादि			30000	60000
2	मा.शि.बोर्ड के अलावा अन्य बोर्ड से संबद्धता प्राप्त करने के लिए एनओसी हेतु आवेदन	25.01.2026	19.03.2026 से 24.03.2026	उप्रावि - 100000 मावि/उमावि - 125000	उप्रावि - 200000 मावि/उमावि - 250000

शेष निर्देश सत्र 2026-27 हेतु जारी मूल विज्ञप्ति एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार यथावत रहेंगे।

सीताराम जाट
(आई.ए.एस.)

निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर
एवं पदेन अतिरिक्त परियोजना निदेशक (वरिष्ठ)
समग्र शिक्षा अभियान, समसा

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- विशिष्ट सहायक, शिक्षा मंत्री महोदय (विद्यालयी/संस्कृत) एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, शिक्षा संकूल, जयपुर।
- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायतीराज (प्रारम्भिक शिक्षा) राजस्थान, बीकानेर।
- विशिष्ट सचिव, शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर।
- शासन उप सचिव शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर।
- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी शिक्षा संकूल, जयपुर।

Signature valid

Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation: Director
Date: 2026.03.17 09:13:48 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
21088880



8. सचिव, बालिका शिक्षा फाउण्डेशन, जयपुर।
9. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर / CBSE/ CISCE/ CAIE/ IB एवं अन्य संबंधित बोर्ड।
10. सिस्टम एनालिस्ट (कम्प्यूटर अनुभाग) को संशोधित टाईमफ्रेम विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
11. समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान/समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन बीआरसीएफ।
12. समस्त गैर सरकारी संस्था
13. निजी सहायक, निजी अनुभाग, निदेशालय प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा।
14. रक्षित पत्रावली।

निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर
एवं पदेन अतिरिक्त परियोजना निदेशक (वरिष्ठ)
समग्र शिक्षा अभियान, समसा

Signature valid

Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation: Director
Date: 2026.03.17 09:13:48 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
21088880